



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

22 ग्राम अवैध रस्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध नियंत्रण एवम् अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु जनपद पुलिस को वृहद एवम् सघन चेकिंग के लिये निर्देशित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.02.2021 को चेकिंग के दौरान अभियुक्त शैलेन्द्र पाधा उर्फ टिल्लू पुत्र राधेश्याम पाधा निवासी बेहटी थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को बेहड़ी मोड़ के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके कब्जे से मौके पर 22 ग्राम अवैध रस्मैक बरामद हुआ है। बरामदगी के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 90/21 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त का नाम/पता- शैलेन्द्र पाधा उर्फ टिल्लू पुत्र राधेश्याम पाधा निवासी बेहटी थाना लहरपुर, सीतापुर

बरामदगी- 22 ग्राम अवैध रस्मैक

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 90/21 धारा 8/21 NDPS ACT थाना लहरपुर जनपद सीतापुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम – उ0नि0 श्री दिलीप सिंह, हे0का0 घनश्याम शर्मा, का0 पप्पू सिंह

